


कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

**// निविदा आमंत्रण सूचना //**

जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में 01 नग महिन्द्रा पावरऑल 5 के. व्ही.ए. मॉडल नं. 1125GR/2014 एवं 01 नग महिन्द्रा पावर ऑल मॉडल नं. 7375 GM/2013 कुल 02 नग के 05 वर्ष हेतु वार्षिक संधारण एवं मरम्मत (ए.एम.सी.) के संबंध में इच्छुक निर्माणकर्ता/कंपनी/प्रतिष्ठित विक्रेता/डीलर/पंजीकृत संस्था/प्रतिष्ठित अनुभवी योग्य फर्मों से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा संबंधी फार्म जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर में दिनांक 15.06.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 17.06.2020 को सांय 5.00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदायें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट [www.districts.ecourts.gov.in/gwalior](http://www.districts.ecourts.gov.in/gwalior) पर भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्तें डाउनलोड की जा सकती हैं।

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

:: जनरेटर के 05 वर्ष हेतु संधारण एवं मरम्मत (ए.एम.सी.) के संबंध में शर्तें ::

1. **अनुबंध की समयावधि**— यह अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 05 वर्ष के लिये किया जावेगा। इस अनुबंध को 03 माह अग्रिम नोटिस देकर किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विभाग बिना कोई कारण बताये अनुबंध समाप्त कर सकता है।
2. जनरेटर से संबंधित सभी उपकरणों को अनुबंध अवधि में कम से कम 3 बार प्रतिवर्ष चैक कर आवश्यकता होने पर उनकी सर्विसिंग की जाएगी। प्रत्येक सर्विसिंग में निम्न कार्य सम्मिलित रहेंगे :—
  - i. उपकरण के सामान्य क्रियाकलापों को चैक करना।
  - ii. फर्म द्वारा हार्डवेयर का अनुरक्षण निर्माताओं द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा आवश्यक होने पर खराब पुर्जों के स्थान पर मानक पुर्जों का ही उपयोग किया जायेगा।
  - iii. यदि फर्म द्वारा दुरुस्ती हेतु उपकरणों को अपने/निर्माता के वर्कशॉप ले जाया जाता है तो ऐसा फर्म के दायित्व और लागत पर ही किया जायेगा।
  - iv. अनुबंध की अवधि में जब भी आवश्यक हो उपकरणों की निःशुल्क ओवर हालिंग (Over Hauling)/मरम्मत करना।
  - v. उपकरण में खराबी की सूचना मिलते ही उसे तत्काल दूर करना।
3. फर्म का इंजीनियर एक लॉगबुक का संधारण करेगा तथा उसमें विभाग द्वारा की गई समस्त शिकायतों को अभिलेखित किया जाएगा। इंजीनियर द्वारा छोटी-मोटी खराबी को तत्काल सुधार कर शिकायत दूर की जाएगी तथा मेजर फॉल्ट की स्थिति आवश्यक होने पर सुधार कार्य 02 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा।
4. **बयाने की राशि** — निविदा के साथ अलग लिफाफे (जिसके ऊपर “बयाने की राशि” लिखी हो) के बयाने की राशि रूपये 5000/- (रु. पाँच हजार रूपये) जोकि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिये, प्रस्तुत की जाएगी।
5. **जमानत की राशि** — अनुबंध की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के पक्ष में डीडी/बैंक गारंटी के रूप में जारी जमा रसीद जो कि कम से कम 15 माह के लिए वैध हो, निविदा स्वीकृति के 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। जमानत की राशि प्राप्त होने पर बयाने की राशि लौटा दी जाएगी। यदि फर्म संतोषप्रद सेवा प्रदाय नहीं करती है तो जमा रसीद का नकदीकरण कराकर जमानत की राशि राजसात की जा सकती है।
6. **दण्ड अधिरोपण** — यदि दूरभाष पर सूचना मिलने के 02 दिवस के अंदर शिकायत दूर नहीं की जाती है तो रूपये 100/- प्रतिदिन प्रति उपकरण के मान से शिकायत दूर होने के दिनांक तक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

7. **भुगतान** – संतोषप्रद सेवा प्रदान करने पर तिमाही भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम किया जाएगा। यदि कोई दण्ड अधिरोपित किया गया हो तो तिमाही भुगतान की राशि में से दण्ड की राशि काटकर भुगतान किया जाएगा।

8. **वित्तीय/तकनीकी लिफाफे** – निविदाकर्ता प्रथक-प्रथक वित्तीय, तकनीकी एवं ई.एम.डी. की राशि वाले लिफाफे तैयार कर उनपर वित्तीय, तकनीकी विड, ई.एम.डी. लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में मुहरबंद कर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को संदर्भित किया जा सकेगा, उनके द्वारा दिया गया निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

10. उक्त निविदा फार्म 250 रूपये नगद/डी.डी. जमा कर जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर से प्राप्त किया जा सकता है एवं निविदा फार्म जमा करते समय उक्त डीडी/नगद जमा की रसीद लगाना आवश्यक है, बिना डीडी/नगद जमा की रसीद के प्राप्त निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा।

अपण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
ग्वालियर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता :-

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर म0प्र0

### निविदा कार्यक्रम जनरेटर सेट की 05 वर्ष हेतु ए.एम.सी.

1	निविदा फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, समय एवं स्थान	दिनांक 15.06.2020 को दोपहर 2.00 बजे तक जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर की आवक-जावक शाखा
2	निविदा की वित्तीय एवं तकनीकी विड खोले जाने की दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 17.06.2020 को सांय 5.00 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर

### वित्तीय विड का प्रारूप

स. क.	उपकरण का विवरण	नग संख्या	उपकरण जहां स्थापित है	प्रति मशीन पर अनुरक्षण व्यय राशि कर रहित	प्रति मशीन पर अनुरक्षण व्यय राशि समस्त कर सहित	कुल राशि समस्त कर सहित
1	महिन्द्रा पावरऑल 5 के. व्ही.ए. मॉडल नं. 1125GR/2014	1	सिविल न्यायालय भितरवार			
2	महेन्द्रा पावर ऑल मॉडल नं. 7375 GM/2013	1	सिविल न्यायालय डबरा			

### तकनीकी विड में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	रिमार्क
1	वित्तीय, तकनीकी विड एवं ई.एम.डी. के अलग-अलग लिफाफे	
2	ई.एम.डी. राशि 5000/-	
3	पेन नंबर	
4	अंतिम 03 वर्ष आयकर विवरणी	
5	टर्नओवर विवरण	
6	जीएसटी रजिस्ट्रेशन	
7	कंपनी प्रोफाईल	
8	विगत 03 वर्ष के अनुभव दस्तावेज	
9	निविदा की शर्तों की स्वीकारोक्ति	